बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1939 (श.) / 15 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 15

1.	परिवहन विभाग	-	-	01
2.	जल संसाधन विभाग	-	-	03
3.	वाणिज्य कर विभाग	-	-	01
4.	वित्त विभाग	-	-	04
5.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	02
6.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	02
7.	योजना एवं विकास विभाग	-	-	01
8.	समाज कल्याण विभाग	-	-	01
			कुल योग –	15

सी.एन.जी. का इस्तेमाल

अ-61. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना में वायु प्रदूषण को कम करने के ख्याल से सी.एन.जी. की पांच यूनिट लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि वाहनों की बेतहाशा वृद्धि होने से राजधानी पटना में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जनहित में सरकार यह बतलाएगी कि कबतक पटना में सी.एन.जी. की सभी यूनिट स्थापित कर दी जाएगी और कब से गाड़ियों में सी.एन.जी. का इस्तेमाल हो सकेगा?

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य

95. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के मद में 395 योजनाओं के विरुद्ध 1530 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, फिर भी संबंधित विभाग सचेत नहीं रहता है तथा सही समय पर आवंटित राशियों को खर्च नहीं करता है, जिससे बाढ़ से बचाव और कटाव निरोधक कार्य नहीं हो पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्र-राज्य सरकार की 50-50 फीसदी सहभागिता में चलने वाली बाढ़ प्रबंधन योजनाएं भी हैं, जिनकी धन राशि समय पर खर्च नहीं होती हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्थिति में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कबतक प्रारंभ करने का विचार रखती है?

अ- दिनांक 08 मार्च, 2018 से स्थगित

दोगुनी राशि वसूलने के संबंध में

96. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 48 शराब व्यवसायियों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 18 शराब व्यवसायियों पर 85.45 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 30 शराब व्यवसायियों पर 1.51 करोड़ रुपये वैट थ्री का टोटल 2.37 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग द्वारा सभी शराब व्यवसायियों को नोटिस भेजा गया पर राशि नहीं जमा करने पर नीलामवाद दायर कर दोगुनी राशि वसूल करने हेतु आदेश दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उक्त शराब व्यवसायियों से अबतक वैट थ्री की टोटल राशि वसूली गयी है तथा नीलामवाद पत्र दायर कितनों से दोगुनी राशि वसूली गई है, अगर आज तक राशि की वसूली नहीं की गई है तो क्या सरकार वैट थ्री की 2.37 करोड़ रुपये टैक्स बकाये की राशि कबतक वसूल करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर: (क) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए शराब व्यवसायियों का वैट-3 का कुल बकाया एवं वसूली निम्नवत है –

क्रम सं.	**वर्ष**	**कुल व्यवसायी**	**कुल बकाया राशि**	**वसूली गयी राशि**
1	2014-15	145	26797581.92	18203115.75
2	2015-16	140	45551666.37	30693050.39
		कुल राशि -	**72349248.29**	**48896166.14**

उपर्युक्त वसूली के पश्चात वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए शराब व्यवसायियों का वैट-3 का बकाया राशि निम्नवत है –

क्रम सं.	**वर्ष**	**कुल व्यवसायी**	**वैट-3 की वसूली हेतु शेष राशि**
1	2014-15	18	8594466.71
2	2015-16	30	14858616.32
		कुल बकाया राशि -	**23453083.03**

(ख) अस्वीकारात्मक।

शराब के किसी व्यवसायी के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर नहीं किया गया है;

(ग) वर्ष 2014-15 के लिए रु. 1,82,03,115.75 एवं वर्ष 2015-16 के लिए रु. 3,06,93,050.39 अर्थात कुल रुपये 4,88,96,166.14 की वसूली की जा चुकी है;

जिन शराब व्यवसायियों के यहां वैट-3 की बकाया राशि अभी भी वसूलनीय है, उसके लिए उत्पाद विभाग में उनके सुरक्षित जमा राशि से वसूली हेतु पत्रांक संख्या-55, दिनांक 05.02.2017 के द्वारा उत्पाद अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से अनुरोध किया गया है।

विसंगतियों का निराकरण

97. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग की संकल्प संख्या 755, दिनांक 20.10.2017 के कारण राजकीयकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 1750 रुपये प्रतिमाह पेंशन में घाटा हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए पूर्व से प्राप्त वेतनमान एवं ग्रेड-पे के प्रतिस्थानी वेतनमान एवं ग्रेड-पे के आधार पर दिनांक 01.01.2006 से वेतन निर्धारित करते हुए एक शुद्धि पत्र निकालने से सेवानिवृत्त शिक्षकों की आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पेंशन की विसंगतियों का निराकरण करना चाहती है?

उत्तर: (क) अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभागीय संकल्प सं.-755, दिनांक 20.10.2017 का प्रावधान 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू है, न कि केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों पर।

इस संकल्प के द्वारा 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप लाभ दिया गया है।

(ख) अस्वीकारात्मक।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-755, दिनांक 20.10.2017 की अनुसूची A में प्रत्येक पूर्व में विद्यमान विभिन्न वेतन संरचनाओं के प्रत्येक अनुवर्ती वेतन पुनरीक्षण में लागू वेतन संरचना में प्रत्येक वेतन स्तर/वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतन संरचना का स्पष्ट उल्लेख है। शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मियों से भिन्न किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

पुलिस चौकी खोलने पर विचार

98. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला का मोहिउद्दीननगर थाना जिला का सबसे पुराना 1875 ई. का स्थापित थाना है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान थाना का भवन एवं कार्यालय मोहिउद्दीननगर बाजार के संकीर्ण एक कि.मी. से अधिक लम्बाई से जुड़ा भीतरी क्षेत्र में है, जिसके कारण थाना अधिकारी एवं वाहन को बाहर निकलने में आधा घंटा से भी अधिक समय लग जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि मोहिउद्दीननगर बाजार से सटे उत्तर बलुआही अनुग्रह नगर में काफी आबादी बढ़ी है, कई कॉलेज, 10+2 उच्चतर विद्यालय, 10+2 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आई.टी.आई., नगर भवन, बिस्कोमान गोदाम आदि हैं, इसी रोड में एक चौराहा है जो चारों दिशाओं की लम्बी सड़कों से जुड़ी है, इस चौराहे से सटी एक नई पुलिस चौकी आवश्यक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलुआही अनुग्रह नगर चौक के पास एक नई पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अंगरक्षक की नियुक्ति

99. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अरुण प्रताप सिंह, ग्राम+पोस्ट-मोआपकवा, थाना-ईमादपुर, प्रखंड-तरारी, जिला-भोजपुर के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तरारी के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महेश झा 2014 में तरारी के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मिथिलेश कुमार सिंह तथा वर्ष 2017 में पीरो के उप समाहर्ता, भूमि सुधार, प्रभास कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में निगरानी से गिरफ्तार करवाये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि तरारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुशील प्रताप सिंह को गबन के आरोप में दोषी पाये जाने पर इनके शिकायत पर विभाग द्वारा निलंबित कराया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि लोक सेवकों के खिलाफ चलाये गये अभियान से स्थानीय अन्य भ्रष्ट लोक सेवक के नाराज होने से इनकी जान को खतरा है, पुलिस अधीक्षक, भोजपुर ने पत्रांक 1807, दिनांक 21.11.17 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी आनसोन को अपने स्तर से पत्र भेजे हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उनके जान पर खतरा को देखते हुए उन्हें अंगरक्षक उपलब्ध कराना चाहेगी?

वियर का निर्माण

100. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सनहोला प्रखंड के गेरुआ नदी पर डोभीघाट के पास वियर सह पुल का निर्माण अति आवश्यक है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वियर सह पुल का निर्माण हो जाने से एक हजार एकड़ जमीन का पटवन (सिंचाई) एवं पुल से सनहोला एवं कहलगांव प्रखंड की संपर्क दूरी लगभग पच्चीस कि.मी. कम हो जाएगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला के उक्त घाट के पास वियर का निर्माण साथ ही पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समय-सीमा निर्धारित

101. **डा. मदन मोहन झा** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति में पदाधिकारीगण अनावश्यक रूप से विलम्ब करते हैं, जिससे कार्य काफी बाधित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार अनुशंसित योजना हेतु निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना चाहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र इस दिशा में निर्णय लेना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अद्यतन जिलावार सूची

102. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के छात्र/छात्राओं ने केन्द्र सरकार की शिक्षा ऋण योजना के लिए विभिन्न बैंकों में आवेदन दिया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन एवं उसके निष्पादन की अद्यतन जिलावार सूची से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित

103. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के मनीहारी प्रखंड के बैजनाथपुर एवं आस-पास के दियारा में बदमाशों का गैंग काफी सक्रिय है;

(ख) क्या यह सही है कि फसल कटनी के समय में वे दियारा में आ जाते हैं तथा किसानों को मारपीट कर भगा देते हैं तथा फसल लूट लेते हैं जिसके फलस्वरूप किसानों के समक्ष भुखमरी की समस्या आ जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि इस कारण दियारा में काफी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है और कभी भी खून-खराबा हो सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दियारा में पुलिस बल की तैनाती कर किसानों को फसल काटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बैंक खाते से फर्जीवाड़ा

104. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत राजेपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर एस.बी.आई. बैंक के शाखा द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर कुडंवा गांव के सुबोध कुमार के खाते से 15 हजार रुपये तथा प्रसोनिया गांव के किशुनदेव भगत के मृत पिता के खाते से 13 दिसम्बर 2016 को 24 हजार रुपये तथा 24 दिसम्बर 2016 को 24 हजार रुपये की फर्जी हस्ताक्षर द्वारा बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा निकासी कर ली गई है, अलग-अलग दो एफ.आई.आर. राजेपुर थाना में किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राजेपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत सलेमपुर एस.बी.आई. बैंक के शाखा प्रबंधक हरिशंकर द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त व्यक्तियों के नाम से अवैध रुपयों की निकासी कर फर्जीवाड़ा किया गया है। सरकार उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा इनके अलावे अन्य व्यक्तियों के खाते से फर्जीवाड़ा कर रुपयों का गबन करने की जांच करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर: (क) स्वीकारात्मक।

इस संबंध में (1) राजेपुर थाना कांड संख्या 23/17, दिनांक 03.03.17, धारा 467/468/471/420/409/120बी. भा.द.वि. अंतर्गत वादी किसुनदेव भगत, पिता-स्व. दुर्गा भगत, सा.-परसौनी, थाना-राजेपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त भारतीय स्टेट बैंक के बैंक मैनेजर के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक खाता से रुपया निकासी करने के आरोप में प्रतिवेदित है।

(2) कांड संख्या 40/17, दिनांक 20.02.17, धारा 467/468/471/420 भा.द.वि. के वादी शंकर प्रसाद सिंह, पिता-स्व. सालेन्द्र प्रसाद सिंह, शाखा प्रबंधक, सलेमपुर शाखा सा.-मिठा भगवानपुर, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध बैंक खाता से पैसा निकासी करने का आरोप प्रतिवेदित है;

(3) राजेपुर थाना कांड संख्या 26/16, दिनांक 05.03.16, धारा 467/468/420/406 भा.द.वि. वादनी रिंकु देवी, पति-संजय भगत, सा.-फतेहपुर, थाना-राजेपुर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त कुन्दन कुमार, पिता-अकलू भगत, सा.-फतेहपुर, थाना-राजेपुर के विरुद्ध दर्ज है।

(ख) उपरोक्त कांडों के पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन 02 से अप्राथमिकी अभियुक्त कुन्दन कुमार, पिता-अक्लू भगत, सा.-फतेहपुर, थाना-राजेपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया है तथा इनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-116/17, दिनांक 28.07.17 समर्पित है। जिसे कांड संख्या 23/17 में रिमांड किया गया है।

वेतन निर्धारण

105. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य वेतन आयोग ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 2009 से ही तीन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं प्रवर कोटि का लाभ देने संबंधी अपनी अनुशंसा प्रतिवेदन के पृष्ठ 50 पर अंकित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आशय का निदेश माननीय उच्च न्यायालय ने सी.डब्लू.जे.सी. 6351/2015 में 16 जनवरी, 2018 को दिया है जिसे तीन माह के अंदर निष्पादित करना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारण करना चाहती है?

उत्तर: (क) आंशिक रूप से स्वीकारात्क है।

राज्य वेतन आयोग द्वारा अन्य राज्य कर्मियों की भांति राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 09.08.1999 से दिनांक 12.07.2010 के मध्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए.सी.पी.) का लाभ तथा दिनांक 01.01.2009 एवं उसके बाद रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) का लाभ प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। प्रवर कोटि का लाभ देने की अनुशंसा नहीं की गई है;

(ख) स्वीकारात्मक है।

सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.-6351/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निदेश दिया गया है कि वादीगण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या-2 (प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग) अभ्यावेदन समर्पित करने की तिथि से तीन माह के भीतर सकारण आदेश पारित करेंगे।

(ग) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासी विभाग को वित्त विभागीय पत्रांक 3919, दिनांक 07.06.2017 प्रेषित है।

राज्य वेतन आयोग द्वारा की गई अनशंसा तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। वर्त्तमान में वित्त विभाग में एतद् सम्बन्धी प्रस्ताव न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।

पेंशन की राशि लंबित

106. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या 4392137, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या 590847 एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना में 121464 लाभार्थियों की संख्या है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में उल्लेखित वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 400 रुपया देने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों से 4,569,685/- पेंशन लाभार्थी पेंशन के लाभ से वंचित हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दो वर्षों से पेंशन की राशि लाभार्थियों को नहीं देने का क्या औचित्य है?

इतिहास में उल्लेख कबतक

107. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) राज्य में अभी कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 15 सितंबर, 1942 को भोजपुर जिला के अगिऑव प्रखंड के ग्राम लसाड़ी में अंग्रेजों से लड़ते हुए देश की आजादी के लिए 12 लोग (क्रांतिकारी) शहीद हो गये थे;

(ग) क्या यह सही है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भोजपुर जिला के अगिऑव प्रखंड के ग्राम लसाड़ी के अमर शहीदों की बिहार के इतिहास में कहीं भी चर्चा (उल्लेख) नहीं है, साथ ही इन अमर शहीदों की घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला में अभी तक संग्राहलय नहीं है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला के अगिऑव प्रखंड के ग्राम लसाड़ी के 12 अमर शहीदों और भोजपुर जिला के देश की आजादी में शहीद सभी लोगों का बिहार के इतिहास में उल्लेख करना चाहती है?

वीयर का निर्माण

108. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर प्रखंड के मिर्जापुर चधेरी गांव के निवार कातरिया नदी में वीयर के निर्माण हेतु वर्ष 2014 में प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्र विभाग को भेजा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वीयर के निर्माण से हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की समस्या से निजात मिलेगा तथा किसान सुखी एवं संपन्न हो जायेंगे;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला के उक्त नदी में वीयर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 15 मार्च, 2018